सत्यमेव जयते

# THE
# JHARKHAND GAZETTE
## EXTRAORDINARY
## PUBLISHED BY AUTHORITY

**2 SHRAWAN, 1945 (S)**

**No. 433**

**RANCHI, MONDAY 24th JULY, 2023**

## COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

--------

NOTIFICATION

24th JULY, 2023

**Notification No.- 5/2023 – State Tax(Rate)**

**S.O. No. 29, Dated 24th July, 2023--**In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 9th May, 2023.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

**(Vipra Bhal)**,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification number 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification number 03/2022- State Tax (Rate), dated the 23rd August, 2022 published in the official gazette *vide* S.O. No. 24, dated the 23rd August, 2022.

# वाणिज्य-कर विभाग

--------

अधिसूचना

24 जुलाई, 2023

**अधिसूचना सं० 5/2023- राज्य कर(दर)**

**एस. ओ. सं. 29, दिनांक 24 जुलाई, 2023--**झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41,दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"बशर्तें और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 9 मई, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**(विप्रा भाल)**,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022- राज्य कर (दर), दिनांक 23 अगस्त, 2022, जिसे एस. ओ. सं. 24, दिनांक 23 अगस्त, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

--------

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 433 -- 50.